समक्ष :रामेश्वर सिंह मलिक न्यायमूर्ति

ग्रीष्मकालीन-याचिकाकर्ता

बनाम

अमरजीत प्रतिवादी

2017 का सी. आर. सं. 274, 27 मार्च, 2017

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-पक्षकारों को अवसर द्वारा वादी के साक्ष्य की गणना करें-निचली अदालत ने आदेश द्वारा वादी के साक्ष्य को बंद कर दिया-याचिकाकर्ताओं ने दो आधिकारिक गवाहों को सम्मन देना लिए निचली अदालत के समक्ष आवश्यक आरोप जमा किए-यह विवादित आदेश में दर्ज नहीं किया गया था कि दो अधिकारियों को सम्मन देना लिए कोई समन जारी किया गया था-सिविल संशोधन की अनुमति दी गई।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार जब वादी दो आधिकारिक गवाहों को सम्मन देना लिए आवश्यक आरोप जमा कर देते हैं, तो यह विद्वत विचारण न्यायालय का बाध्य कर्तव्य था कि वह समन जारी करके आधिकारिक गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करे और यदि बुलाए जाने के बाद, ये अधिकारी गवाह उपस्थित नहीं होंगे, तो एल. डी. निचली अदालत को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक तरीका अपनाना चाहिए था।

(पैरा 6) ने आगे कहा कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि प्रक्रिया न्यायाधीश के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए है।कानून की अदालतें मुकदमे के दोनों पक्षों को अदालत के समक्ष अपना सर्वश्रेष्ठ मामला रखने के लिए उचित अवसर देने के लिए बाध्य हैं।विवादित आदेश सेट-साइड-सिविल संशोधन की अनुमति है।

(पैरा 8)

राज कपूर मलिक, अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं के लिए।

आर.डी.शर्मा, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए अधिवक्ता।

रामेश्वर सिंह मलिक, जे. (मौखिक)

(1) दिनांक 1 (अनुलग्नक पी-11) के आदेश के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए, जिसके तहत विद्वत विचारण न्यायालय ने अपने साक्ष्य को बंद कर दिया, वादी ने विवादित आदेश को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर तत्काल पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(2) प्रस्ताव की सूचना जारी की गई और इस बीच, विद्वत विचारण न्यायालय को इस न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि से आगे मामले को स्थगित करने का निर्देश दिया गया।

(3) पक्षकारों की विद्वान अधिवक्ता सुनी।

(4) याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन दिनांक 13.09.2016 (अनुलग्नक पी-12) में दर्ज निर्विवाद तथ्य के एक नंगे अवलोकन से पता चलेगा कि याचिकाकर्ताओं ने दो आधिकारिक गवाहों को बुलाने के लिए विद्वत निचली अदालत के समक्ष आवश्यक आरोप जमा किए।हालाँकि, उक्त तथ्य का उल्लेख न तो विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित तत्काल अगले आदेश दिनांक 15.11.2016 (अनुलग्नक पी-10) में और न ही दिनांक 03.01.2017 (अनुलग्नक पी-) के विवादित आदेश में नहीं मिलता है।11).विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा यह बिल्कुल भी दर्ज नहीं किया गया था कि क्या आवेदन के पैरा 2 (अनुलग्नक पी-12) में उल्लिखित दो आधिकारिक गवाहों को सम्मन देना लिए कोई समन जारी किया गया था।

(5) इसके अलावा, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 03.01.2017 का विवादित आदेश एक गैर-भाषी और गुप्त आदेश पाया गया है।यह कहने के बाद, इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने वादी के साक्ष्य को बंद करते हुए स्पष्ट रूप से अवैध आदेश पारित करते हुए जल्दबाजी में आगे बढ़ा, जिसके कारण विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(6) एक बार जब वादी दो आधिकारिक गवाहों को सम्मन देना लिए आवश्यक आरोप जमा कर लेते हैं, तो आवेदन (अनुलग्नक पी-12) दिनांक 13.09.2016 के माध्यम से, यह विद्वत विचारण न्यायालय का बाध्य कर्तव्य था कि वह समन जारी करके आधिकारिक गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करे और यदि समन जारी किए जाने के बाद, वे आधिकारिक गवाह उपस्थित नहीं होंगे, तो विद्वत विचारण न्यायालय को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक तरीका अपनाना चाहिए था।ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आधिकारिक गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करना वादी-याचिकाकर्ताओं के नियंत्रण में नहीं था।वे केवल आधिकारिक गवाहों को बुलाने के लिए आवश्यक आरोप जमा कर सकते थे जो उन्होंने अपनी ओर से किए हैं।(7) आदेशों (अनुलग्नक पी-10 और पी-11) से यह स्पष्ट नहीं है कि इन आदेशों को पारित करने से पहले विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त भौतिक तथ्य की पूरी तरह से अनदेखी क्यों की गई।मामले के इन निर्विवाद तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करते समय कानून की गंभीर त्रुटि की और इसी कारण से भी इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।(8) यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि प्रक्रिया के नियम न्यायाधीश के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हैं।न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे सुमेर चंद बनाम अमरजीत सिंह के मुकदमे में दोनों पक्षों को उचित अवसर प्रदान करें।

अपना सर्वश्रेष्ठ मामला न्यायालय के समक्ष रखें।किसी को भी इस शिकायत के साथ घर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि उचित अवसर नहीं दिया गया था।कानून के उपरोक्त सिद्धांत का पालन करते हुए, विद्वत न्यायाधीशालय दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करेगा; अर्थात्, (i) यह पक्षों के बीच मुकदमेबाजी की बहुलता से बचेगा और (ii) विद्वत न्यायाधीशालय पक्षों के बीच पूर्ण और पर्याप्त न्यायाधीश करेगा।हालाँकि, चूंकि विद्वत विचारण न्यायालय वर्तमान मामले में कानून के उपरोक्त सिद्धांत की सराहना करने और उसका पालन करने में विफल रहा, इसलिए विवादित आदेश पारित करते हुए इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है, इसी कारण से भी।

(9) कोई अन्य तर्क नहीं उठाया गया।

(10) ऊपर उल्लिखित मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त कारणों के साथ, इस न्यायालय का विचार है कि चूंकि विवादित आदेश पेटेंट अवैधता से पीड़ित पाया गया है, इसलिए इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।तदनुसार, विवादित आदेश को इसके द्वारा अलग कर दिया जाता है।विद्वत विचारण न्यायालय को याचिकाकर्ताओं को अपने शेष साक्ष्य को समाप्त करने के लिए दो और प्रभावी अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें दिनांक 1 (अनुलग्नक पी-12) के आवेदन के पैरा 2 में उल्लिखित दो आधिकारिक गवाहों को तलब करना शामिल है।

(11) नतीजतन, उपरोक्त टिप्पणियों और जारी किए गए निर्देशों के साथ, तत्काल संशोधन याचिका की अनुमति है, हालांकि, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं है।

अमित अग्रवाल

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

प्रांशु जैन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

गुरुग्राम, हरियाणा ।